अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या–14, अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी–पी0 के0 जयन्त, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code No.–UP6478)
सत्र परीक्षण संख्या–852/2009
CNR No.-UPAL010007862009

उत्तर प्रदेश राज्य ......अभियोजन पक्ष

बनाम

1. दिनेश पुत्र सूरजभान, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया, जिला मथुरा,
2. महेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 छितरमल शर्मा, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया, जिला मथुरा,
3. अर्जुन पुत्र नेम सिंह, निवासी ग्राम करसुआ, थाना लोधा, जिला अलीगढ़,
4. संजय पुत्र वीरपाल सिंह, निवासी ग्राम करसुआ, थाना लोधा, जिला अलीगढ़,
5. संतोष पुत्र नेम सिंह, निवासी ग्राम करसुआ, थाना लोधा, जिला अलीगढ़,
6. महाराज सिंह पुत्र स्व0 मदनि सिंह, निवासी ग्राम खुरखुरू, थाना सुरीर, जिला मथुरा,
7. बंटी पुत्र स्व0 राजवीर सिंह, निवासी ग्राम पतारा, थाना एका, जिला फिरोजाबाद,
8. पप्पू कालिया पुत्र चिरंजीलाल, निवासी गढ़ी पथेर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़,
9. सुरेश पुत्र सूरजभान, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया जिला मथुरा,
10.सूरजभान पुत्र स्व0 ईश्वरी प्रसाद, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया, जिला मथुरा (<u>मृतक दौरान विचारण</u>),
12. रवि पुत्र हर प्रसाद, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया जिला मथुरा (<u>मृतक दौरान विचारण</u>),
13. गोपाल पुत्र माधव, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया जिला मथुरा (<u>मृतक दौरान विचारण</u>),

.........अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–852/2007
अन्तर्गत धारा–364ए, भा0द0सं0
थाना खैर, अलीगढ़

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–02/2026
UPAL010002492026

उत्तर प्रदेश राज्य ......अभियोजन पक्ष

बनाम

मनोज पुत्र खरग सिंह, निवासी ग्राम करसुआ, थाना लोधा, जिला अलीगढ़ (धारा–299 द0 प्र0 सं0 में कार्यवाही प्रचलित) ....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–852/2007
अन्तर्गत धारा–364ए, भा0द0सं0
थाना खैर, अलीगढ़

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–140/2012
CNR No.-UPAL010017982012

उत्तर प्रदेश राज्य ......अभियोजन पक्ष

बनाम

1. दिनेश पुत्र सूरजभान, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया, जिला मथुरा,
2. सुरेश पुत्र सूरजभान, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया जिला मथुरा,
3. रवि पुत्र हर प्रसाद, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया जिला मथुरा (मृतक दौरान विचारण),

.........अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–857/2007
अन्तर्गत धारा–307/34, भा0द0सं0
थाना खैर, अलीगढ़

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–138/2012

CNR No.-UPAL010017962012

उत्तर प्रदेश राज्य ......अभियोजन पक्ष

बनाम

दिनेश पुत्र सूरजभान, निवासी ग्राम चिमला, थाना राया, जिला मथुरा, ...अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–859/2007
अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना खैर, अलीगढ़

अभियोजन पक्ष : श्री प्रमेन्द्र कुमार जैन (ए.डी.जी.सी.–कि0)

अभियुक्तगण : 1. श्री गुलवीर शर्मा (एडवोकट)
2. श्री यतेन्द्र कुमार शर्मा (एडवोकट)
3. श्री राज कुमार सिंह तोमर (एडवोकट)
4. श्री राम किशन तिवारी (एडवोकट)

निर्णय

उपरोक्त सत्र वादों में अभियुक्तगण **दिनेश, महेश, अर्जुन, संजय, संतोष, महाराज सिंह, बंटी, पप्पू एवं सुरेश** का विचारण धारा–364ए, अभियुक्तगण **दिनेश एवं सुरेश** का विचारण धारा–307/34 एवं अभियुक्त **दिनेश** का विचारण धारा–25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के लिये किया गया।

2(a). सत्र परीक्षण संख्या–852/2009, थाना पुलिस खैर, जिला अलीगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–852/2007 अन्तर्गत धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्तगण **राजेश, दिनेश, रवि, सुरेश, मनोज, संजय, महाराज सिंह, बंटी व सूरजभान** के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्श क–5 एवं** अभियुक्तगण **पप्पू कालिया, अर्जुन सिंह, गोपाल, महेश व संतोष कुमार** के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्श क–6** पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01 अलीगढ़ द्वारा पारित उपार्पण आदेश दिनांक 21.11.2009 के आधार पर संस्थित किया गया है, जो बाद अन्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें अभियुक्त राजेश को किशोर अपराधी घोषित करते हुए उसकी पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड मथुरा को भेजी गयी एवं अभियुक्तगण रवि,

सूरजभान तथा गोपाल की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने पर उनके विरूद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की गई, जबकि अभियुक्त मनोज की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने परन्तु उसकी मृत्यु आख्या प्राप्त न होने के कारण उसकी पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या–02/2026 राज्य बनाम मनोज के रूप में पृथक कर संचालित की जा रही है। शेष अभियुक्तगण **दिनेश, महेश, अर्जुन, संजय, संतोष, महाराज सिंह, बंटी, पप्पू एवं सुरेश** के सम्बन्ध में विचारण पूर्ण कर निर्णय पारित किया जा रहा है।

2(b). सत्र परीक्षण संख्या–02/2026, थाना पुलिस खैर, जिला अलीगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–852/2007 अन्तर्गत धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्तगण **राजेश, दिनेश, रवि, सुरेश, मनोज, संजय, महाराज सिंह, बंटी व सूरजभान** के साथ–साथ अभियुक्त मनोज कुमार सिंह के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्श क–5** पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01 अलीगढ़ द्वारा पारित उपार्पण आदेश दिनांक 21.11.2009 के आधार पर संस्थित किया गया है, जो बाद अन्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें अभियुक्त मनोज कुमार सिंह के अनुपस्थित रहने के कारण मुख्य सत्र परीक्षण से यह पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या–02/2026 राज्य बनाम मनोज कुमार सिंह के रूप में पृथक कर धारा–299 द0 प्र0 सं0 में संचालित की जा रही है।

2(c). सत्र परीक्षण संख्या–140/2012, थाना पुलिस खैर, जिला अलीगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–857/2007 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्तगण **राजेश, दिनेश, रवि एवं सुरेश** के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्श क–10** पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01 अलीगढ़ द्वारा पारित उपार्पण आदेश दिनांक 21.02.2012 के आधार पर संस्थित किया गया है, जो बाद अन्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें अभियुक्त राजेश को किशोर अपराधी घोषित करते हुए उसकी पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड मथुरा को भेजी गयी एवं अभियुक्त रवि की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने पर उसके विरूद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की गई। शेष अभियुक्तगण **दिनेश एवं सुरेश** के सम्बन्ध में विचारण पूर्ण कर निर्णय पारित किया जा रहा है।

2(d). सत्र परीक्षण संख्या–138/2012, थाना पुलिस खैर, जिला अलीगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–859/2007 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त **दिनेश** के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्श क–11** पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01 अलीगढ़ द्वारा पारित उपार्पण आदेश दिनांक 21.02.2012 के आधार पर संस्थित किया गया है, जो बाद अन्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें अभियुक्त **दिनेश** के सम्बन्ध में विचारण पूर्ण कर निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. उपरोक्त चारों सत्र परीक्षण एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होने एवं चारों सत्र वादों में अभियोजन साक्षी समान होने के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा चारों सत्र वादों को समेकित करते हुए सत्र परीक्षण संख्या–852/2009 को अग्रणी वाद घोषित किया गया, जिसके उपरान्त अग्रणी वाद में समस्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त तीनों सत्र परीक्षण में यह निर्णय संयुक्त रूप से पारित किया जा रहा है।

4. संक्षेप में **सत्र परीक्षण संख्या–852/2009 एवं सत्र परीक्षण संख्या–02/2026** के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा जयपाल सिंह पुत्र सोनपाल सिंह, निवासी ग्राम करसुआ, थाना

खैर, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 24.07.2007 को थाना खैर पर इस आशय की लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** प्रस्तुत की गई कि उसका लड़का राज कुमार दिनांक 21.07.2007 को कुछ आवश्यक सामान लेने अलीगढ़ गया था। उसके गॉव के अर्जुन सिंह पुत्र नेम सिंह ने उसके लड़के के मोबाइल पर फोन करके कहा कि राजकुमार तुमने जमीन खरीदी है, पार्टी तो दे दो। उस समय अर्जुन सिंह के साथ मनोज कुमार सिंह पुत्र खरक सिंह, संजय पुत्र वीरपाल सिंह जो उसके ही गॉव के हैं, साथ में थे। उसके लड़के ने कहा कि वह इस समय अलीगढ़ में है फिर किसी दिन पार्टी ले लेना। अर्जुन सिंह ने कहा कि पैसा में ही खर्च कर दूॅगा आप आ तो जाओ, तब उसके लड़के राजकुमार ने कहा कि आप कहां हो, अर्जुन सिंह ने कहा कि वह खैर में पेट्रोल टंकी के सामने सर्वेश के होटल पर बैठा है। उसका लड़का राज कुमार अलीगढ़ से प्लांट पर उतरा जहॉ पर संतोष पुत्र नेमसिंह मौजूद था। वह सामान रजुआ की एस.टी.डी. पर रखकर राजकुमार को खैर लेकर आया। खैर में सर्वेश के होटल पर अर्जुन व मनोज बैठे थे। वहॉ पर शराब पी गयी और खाना खाया। खाने के बाद बाहर एक वैन स्लेटी कलर की रूकी उसमें संजय का दोस्त पप्पू व दो अन्य व्यक्ति थे। अर्जुन सिंह ने उसी वैन पर उसके लड़के को साढ़े तीन बजे दिन में करसुआ प्लांट के लिये बैठा दिया था और उस समय गॉव के धर्मवीर सिंह व बंगाली सिंह जो खैर से वापस आ रहे थे ने देखा था। उसके लड़के से कहा कि तुम चलो, वह लोग खैर होकर आते हैं। उसका लड़का घर नहीं पहुॅचा। उसी दिन मनोज कुमार सिंह ने उससे कहा कि आज तुम्हारी सम्पत्ति लुट गयी, उसने कहा कि उसकी सम्पत्ति यहीं तो हैं तो मनोज ने कहा कि तुम्हारा लड़का गायब हो गया। उसे चिंता हुई और उसने तलाश शुरू की। दूसरे दिन मनोज व अर्जुन सिंह से पूछताछ की गई तो दोनों ने कहा कि शाम तक ढूंढ़ कर ला देंगे। समय करीब 10.19 ए.एम. पर फोन राज कुमार का मिलाया तो किसी अन्जान व्यक्ति से बात हुई, उससे राजकुमार के बारे में पूछा तो उसने कहा कि राज कुमार यहॉ नहीं है, उसका मोबाइल उसके पास है फिर उस व्यक्ति ने कहा कि राजकुमार की मम्मी से बात कराओ। राज कुमार की मम्मी से बात करायी तो उसने कहा कि राजकुमार उसके कब्जे में है, उसे बीस लाख रूपया दे दो तो वह लड़का वापस दे देगा। उसने काफी खोज बीन की किन्तु लड़के का कोई पता नहीं चल सका है।

5. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना खैर, अलीगढ़ में अभियुक्तगण अर्जुन सिंह, मनोज कुमार सिंह, संजय, संतोष, पप्पू एवं दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–852/2007 अर्न्तगत धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** दिनांक 24.07.2007 समय 18.30 बजे पंजीकृत की गई।

6. पंजीकृत अपराध की विवचना, विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक राधेश्याम पाल द्वारा की गई और विवेचना के पश्चात साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण **राजेश, दिनेश, रवि, सुरेश, मनोज, संजय, महाराज सिंह, बंटी व सूरजभान** के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–5 एवं** अभियुक्तगण **पप्पू कालिया, अर्जुन सिंह, गोपाल, महेश व संतोष कुमार** के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–6** अर्न्तगत अन्तर्गत धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त राजेश को किशोर अपराधी घोषित करते हुए उसकी पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड मथुरा को भेजी गयी एवं

अभियुक्तगण रवि, सूरजभान तथा गोपाल की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने पर उनके विरूद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की गई, जबकि अभियुक्त मनोज की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने परन्तु उसकी मृत्यु आख्या प्राप्त न होने के कारण उसकी पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या–02/2026 राज्य बनाम मनोज के रूप में पृथक कर शेष अभियुक्तगण **दिनेश, महेश, अर्जुन, संजय, संतोष, महाराज सिंह, बंटी, पप्पू एवं सुरेश** के सम्बन्ध में विचारण पूर्ण किया गया।

7. **सत्र परीक्षण संख्या–140/2012** एवं **सत्र परीक्षण संख्या–138/2012** के तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन थानाध्यक्ष खैर श्री ऋषि कुमार द्वारा दिनांक 30.07.2007 को थाना खैर पर लिखित फर्द बरामदगी एवं गिरफतारी **प्रदर्श क–8** इस आशय की प्रस्तुत की गई कि कल दिनांक 29.07.2007 को वह अपने हमराहियान के साथ सरकारी जीप संख्या यू पी 81 ए जी 0053 से रपट संख्या–49 समय 21.15 बजे थाने से मुकदमा अपराध संख्या–852/2007 धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के मुल्जिमान व अपहृत राजकुमार की पतारसी सुरागरसी में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि टेंटीगॉव के जंगल में कुछ बदमाश अपहृत राज कुमार उपरोक्त को छिपाये हुए हैं और फिरौती का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर एक पार्टी में वह, कां0 बृजेश कुमारा, कां0 अरविन्द कुमार, कां0 सर्वेश कुमार, कां0 कमल सिंह, कां0 मुबीन खां तथा दूसरी पार्टी में एस.एस.आई. राधेश्याम यादव, कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 राजेश, कां0 रावलेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 प्रीन शर्मा, कां0 दुर्विजय सिंह को विभाजित करके एस.एस.आई. वाली पार्टी को हिदायत दी कि उसके इशारे पर ही बदमााशों को घेरने व पकड़ने का प्रयास करें, उन्हें पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर रवाना किया गया। वह स्वयं अपनी टीम को लेकर मुखबिर के बतये स्थान की ओर पूरब व उत्तर दिशा की ओर से रवाना हुआ। जैसे ही वह लोग मुखबिर के बताये स्थान पर पहॅुचे तो जंगल में करीब 8–10 बदमाश दिखयी पड़े। उसने इत्मीनान करके यकीन किया कि यही वह बदमाश हैं जिनके पास अपहृत राजकुमार है और एस.एस.आई. वाली टीम को द्वारा टेलीफोन सूचना दी गई कि बदमाश इसी जगह पर हैं जहॉ मुखबिर ने हम लोगों को बताया था, आप तुरंत अपनी ओर से बदमाशों को घेरने व ललकारने का प्रयास करें। जैसे ही एस.एस.आई. वाली टीम ने बदमाशों को ललकारा तो एक बदमाश एक हाथ से राजकुमार को पकड़े हुए तथा दूसरे हाथ में तमंचा लिये उसकी पार्टी की तरफ दौड़ते हुए आया, उसकी पार्टी खेतों में चरी में छिपी हुई थी। बदमाशों द्वारा अपहृत को दूरी चरी के खेते के पास लाकर अंदर तीन मीटर निकाल कर अपहृत को एक मोटर साइकिल पर बिठाकर एक बदमाश उसके पीछे बैठ गया तथा एक मोटर साइकिल पर दो बदमाश एवं तीसरी मोटर साइकिल पर दो बदमाश मोटर साइकिल स्टार्ट करके चलने को हुए तो उसके द्वारा अपनी पार्टी को जीप, जो आड़ में खड़ी थी, में बैठाकर व स्वयं बैठकर बदमाशों का पीछा किया तो कुछ बदमाश पश्चिम उत्तर दिशा को भागते दिखायी दिये तो उसने मोबाइल द्वारा एस. एस. आई. वाली टीम को निर्दश दिया कि जो बदमाश पश्चिम उत्तर दिशा को भाग रहे हैं उनका पीछा करो और उसकी टीम मोटर साइकिल वाले बदमाशों के पीछे पड़ गयी। जैसे ही बदमाश टेंटी गॉव रोड पर हृदय नगरिया के पुल के बीचो बीच आये तो पुलिस वालों ने जोर से आवाज देकर रूकने को कहा तो उनमें से अपहृत के पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पाटी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया परन्तु पुलिस पार्टी ने जान की परवाह न करते हुए बदमाशों को ललकारा तो दूसरे बदमाश ने फिर एक फायर पुलिस पार्टी पर किया

पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में अपनी पिस्टल से एक फायर किया तो मोटर साइकिल पर बैठे हुए चार बदमाश व एक अपहृत राज कुमार हृदय नगरिया वाले पुल से 75 मीटर उत्तर की ओर उतर गये तथा दो बदमाश मोटर साइकिल लेकर भाग गये। मोटर साइकिल से उतरे हुए बदमाश खेतों की ओर भागने का प्रयास करने लगे तो पुलिस पार्टी ने रनवीर सिंह के खेत के पास सड़क पुख्ता के किनारे पक्की पटरी पर जंगल ग्राम समय करीब 3.00 बजे दिन मामूली मारपीट करके पकड़ लिया और अपहृत राजकुमार ने पीछे से डर के कारण यह कहते हुए कि साहब मुझे बचा लो, उसकी कौरी भर ली। उसने तसल्ली देकर अपहृत को अपने पास खड़ा किया और पकड़े गये अभियुक्तों से क्रमशः नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लेनी शुरू की तो इतने में एस.एस.आई. वाली टीम भी घटना स्थल पर आ गयी। पहले बदमाश ने अपना नाम राजेश पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम चिमला थाना राया जिला मथुरा बताया, जिसकी जामा तलाशी में पहनी पैन्ट की पीछे ओर खुरसा हुआ एक अदद तमंचा .315 बोर व एक कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम दिनेश पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम चिमला थाना राया जिला मथुरा बतायाा, जिसकी जामा तलाशी से एक तमंचा .315 बोर जिसमें एक खोखा कारतूस फंसा था एवं दो कारतूस .315 बोर जिन्दा बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम रवि पुत्र हर प्रसाद निवासी चिमला थाना राया जिला मथुरा बताया से एक चाकू बरामद हुआ, चौथे ने अपना नाम सुरेश पुत्र सूरजभान निवासी चिमला थाना राया जिला मथुरा बताया से एक चाकू बरामद हुआ। अभियुक्तगण से तमंचा व चाकू रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे। अभियुक्तगण को उनक जुर्म धारा–307, 147, 148, 149 भा0द0सं0 व धारा–25 आयुध अधिनियम, धारा–4/25 आयुध अधिनियम से अवगत कराकर गिरफतारी मीमो मौके पर तैयार कर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये व हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद माल को मौके पर जीप के बोनट पर रखकर सील सर्व मुहर हिकया व नमूना मुहर बनाया गया। फर्द मौके पर लिखकर हमराहियान को पढ़कर सुनाकर गवाही बनवायी गयी। मौके पर काफी लोग एकत्रित हो गये थे जिनसे गवाही को कहा गया तो भलाई बुराई के कारण मना कर दिया। माल, मुल्जिमान व अपहृत को थाने लाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

8. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी एवं गिरफतारी प्रदर्श क–8 के आधार पर थाना खैर, अलीगढ़ में अभियुक्तगण राजेश, दिनेश, सुरेश एवं रवि के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–857/2007 अर्न्तगत धारा–147, 148, 149, 307 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–859/2009 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त राजेश के विरूद्ध मुकदमा अपरध संख्या–858/2007 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–860/2007 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त रवि के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–861/2007 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम में संयुक्त रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** दिनांक 30.07.2007 समय 17.30 बजे पंजीकृत की गई।

9. पंजीकृत अपराध की विवचना, विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक मान सिंह माहौर द्वारा की गई और विवेचना के पश्चात साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण **राजेश, दिनेश, रवि, सुरेश** के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–10** अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भा0द0सं0 (मुकदमा अपरध संख्या–857/2007) **एवं** अभियुक्त **दिनेश** के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–11**

अर्न्तगत अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम (मुकदमा अपरध संख्या–859/2007) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त राजेश को किशोर अपराधी घोषित करते हुए उसकी पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड मथुरा को भेजी गयी एवं अभियुक्तगण रवि की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने पर उसके विरूद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की गई, शेष अभियुक्तगण **दिनेश एवं सुरेश** के सम्बन्ध में विचारण पूर्ण किया गया।

10. सत्र परीक्षण संख्या–852/2009 में दोरान विचारण मृत अभियुक्तगण रवि, सूरजभान, गोपाल सहित अभियुक्तगण **दिनेश, सुरेश, संजय, महाराज सिंह, बंटी, पप्पू कलिया, अर्जुन सिंह, महेश व संतोष** के विरूद्ध दिनांक 13.01.2010 को एवं अभियुक्त **मनोज** के विरूद्ध दिनांक 09.02.2010 को धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, सत्र परीक्षण संख्या–140/2012 में दौरान विचारण मृत अभियुक्त रवि सहित अभियुक्तगण **दिनेश व सुरेश** के विरूद्ध दिनांक 08.11.2012 को धारा–307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एवं सत्र परीक्षण संख्या–138/2012 में अभियुक्त **दिनेश** के विरूद्ध दिनांक 08.11.2012 को धारा–25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की गई, फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

11. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा जयपाल सिंह (पिता अपहृत राजकुमार), पी0 डब्लू0–2 राजकुमार (पीड़ित/अपहृत), पी0 डब्लू0–3 हेड कां0 अशोक कुमार (चिक एफ आई आर एवं जी डी लेखक मुकदमा अपराध संख्या–852/2007), पी0 डबलू0–4 डा0 पी0 के0 शर्मा (पीड़ित/अपहृत का चिकित्सीय परीक्षणकर्ता चिकित्सक), पी0 डब्लू0–5 सेवानिवृत्त उप निरीक्षक राधेश्याम पाल (साक्षी फर्द) एवं पी0 डब्लू0–6 कां0 क्लर्क अमर (हमराह पुलिस पार्टी) को परीक्षित कराया गया है।

12. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसे निम्नलिखित साक्षीगण द्वारा अधोलिखित रूप में साबित किया गया है–

क0सं	प्रपत्र	प्रदर्श	साबित करने वाले साक्षी का नाम
1	लिखित तहरीर मु.अ.सं.–852/2007	क–1	पी0 डब्लू0–1 वादी जयपाल सिंह
2	चिक एफ आई आर मु.अ.सं.–852/2007	क–2	पी0 डब्लू0–3 हेड कां0 अशोक कुमार
3	जी0 डी0 मु.अ.सं.–852/2007	क–3	पी0 डब्लू0–3 हेड कां0 अशोक कुमार
4	नक्शा नजरी मु.अ.सं.–852/2007	क–4	पी0 डब्लू0–3 हेड कां0 अशोक कुमार (द्वितीयक साक्षी)
5	आरोप पत्र मु.अ.सं.–852/2007	क–5	पी0 डब्लू0–3 हेड कां0 अशोक कुमार (द्वितीयक साक्षी)
6	आरोप पत्र मु.अ.सं.–852/2007	क–6	पी0 डब्लू0–3 हेड कां0 अशोक कुमार (द्वितीयक साक्षी)
7	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट अपहृत	क–7	पी0 डब्लू0–4 डा0 पी0 के0 शर्मा
8	फर्द बरामदगी एवं गिरफतारी	क–8	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल
9	नक्शा नजरी मु.अ.सं.–857/2007	क–9	पी0 डब्लू0–6 सी सी अमर (द्वितीयक साक्षी)
10	आरोप पत्र धारा–307 भा.द.सं.	क–10	पी0 डब्लू0–6 सी सी अमर (द्वितीयक साक्षी)
11	आरोप पत्र धारा–25 आयुध अधिनियम	क–11	पी0 डब्लू0–6 सी सी अमर (द्वितीयक साक्षी)
12	अभियोजन स्वीकृति	क–12	पी0 डब्लू0–6 सी सी अमर (द्वितीयक साक्षी)
13	कपड़ा सील पुलिन्दा	भौ0 प्र0–1	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल
14	अभियुक्त राजेश से बरामद तमंचा/कारतूस	भौ0 प्र0–2 ता–4	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल
15	कपड़ा सील पुलिन्दा	भौ0 प्र0–5	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल

16	अभियुक्त दिनेश से बरामद तमंचा व कारतूस	**भौ0 प्र0–6 ता–9**	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल
17	कपड़ा सील पुलिन्दा मु.अ.स.–860/2007	**भौ0 प्र0–10**	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल
18	अभियुक्त रवि से बरामद छुरा	**भौ0 प्र0–11**	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल
19	कपड़ा सील पुलिन्दा मु.अ.स.–861/2007	**भौ0 प्र0–12**	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल
20	अभियुक्त सूरज से बरामद चाकू	**भौ0 प्र0–13**	पी0 डब्ल0–5 से.नि. उप निरी. राधेश्याम पाल

13. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 जयपाल सिंह ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना लगभग सवा तीन साल पहले की है। वह और उसका लड़का राजकुमार घरेलू सामान लेने अलीगढ़ आये थे। जब वह लोग अलीगढ़ आये थे तभी उसके लड़के राजकुमार के फोन पर अर्जुन का फोन आया था कि अर्जुन ने कहा था कि तूने खेत ले लिया है, खेत लेने की पार्टी दे। उसके लड़के ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो अर्जुन ने कहा कि तू आ जा पैसे वह दे देगा। मनोज भी उसके साथ था, मनोज ने कहा था कि तू आ जा हम पेट्रोल टंकी के सामने सर्वेश के होटल पर बैठे हैं। जब वह लोग अलीगढ़ से वापस जा रहे थे तो उसका लड़का गैस प्लांट पर उतर गया था। अपना सामान एस टी डी पर रख दिया था। सर्वेश के होटल पर अर्जुन व मनोज बैठे थे, उन्होने उसके लड़के को स्लेटी रंग की एक वैन में बैठा दिया, जिसमें पप्पू जो संजय का दोस्त था, बैठा था। उसके लड़के को वैन में बिठाते समय धर्मवीर सिंह व बंगाली सिंह ने देखा था। उसका लड़का जब शाम तक वापिस नहीं आया तो उसने तलाश किया किन्तु वह नहीं मिला। उसी दिन शाम को मनोज मिला उसने कहा कि आपकी सम्पत्ति लुट गयी है। उसने कहा कि उसकी सम्पत्ति उस पर है तो मनोज ने कहा कि आपके लड़के का अपहरण हो गया है तब उसने मनोज व अर्जुन से पूछताछ की तो उन्होने कहा कि वह ढूंढ़ कर ला देंगे। दूसरे दिन लगभग दस बजे राजकुमार के फोन पर फोन किया तो कोई अज्ञात व्यक्ति बात कर रहा था, उसने कहा कि यह राज कुमार का फोन है उसकी बात राजकुमार की मम्मी से कराओ। उसने राजकुमार की मम्मी से लड़के को छुड़ाने के लिये बीस लाख की फिरौती मांगी थी। उसने धमकी दी थी कि किसी को फोन पर बताया तो अच्छा नहीं होगा। उसका लड़का 8–10 दिन बाद थाना नौहझील जिला मथुरा पुलिस ने बरामद किया था। थाना नौहझील की पुलिस ने लड़का उसके सुपुर्द कर दिया था। इस घटना की तहरीर उसने थाना खेर पर लिखवाकर दी थी। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर को **प्रदर्श क–1** क रूप में साबित किया है। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसका उल्लेख समग्र मूल्यांकन/निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

14. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 राजकुमार (अपहृत) ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 21.07.2007 की है। उस दिन वह और उसके पिता जयपाल सिंह घरेलू सामान खरीदने के लिये अलीगढ़ आये थे। जब वह अलीगढ़ में थे, उसके फोन पर अर्जुन का फोन आया था। उसने कहा था कि तुमने जमीन खरीदी है, जमीन खरीदने की पार्टी दे दो। उसने कहा अर्जुन से कि उसके पास पैसे खत्म हो गये हैं, तो अर्जुन ने बोला उसके पास पैसे है, वह ही पार्टी दे देगा, तुम खैर आ जाओ। सर्वेश होटल पर खैर आ जाओ। उसने बताया था कि उसके साथ मनोज है और अन्य लोग हैं। तुम्हारा इन्तजार कर रहे हैं। उसने कहा ठीक है। उसने फोन वाली बात अपने पिता जी को बतायी थी कि अर्जुन का फोन आया है उसने अपने पिता जी को सामान लेकर बस में अलीगढ़ से बैठा दिया था कुछ सामान रह गया था। उसे

लेकर वह बस से गैस प्लांट पर उत्तर गया था। जो उसके पास सामान था उसे रजुआ की एस०टी०डी० पर रख दिया था। वहां पर उसको सन्तोष मिला। वह उसको लेकर सर्वेश के होटल पर खैर गया था। वहां अर्जुन था, मनोज था, सन्तोष था, संजय भी था। वहां होटल पर उन्होंने दारू पी थी, उसके लिये मिठाई लाये थे। उसने मिठाई खायी और मौसमी का जूस पिया था। उसके बाद उन लोगों ने खाना भी खाया था। उसको चक्कर से आने लगे। उसने उनसे कहा गांव चलो, अर्जुन ने कहा गाड़ी आ रही है वहां पर एक सिलेटी रंग की मारूति वैन आयी, उसमें पप्पू कालिया, गोपाल, रसीद ड्राईवर थे, उस मारूति में उसे बैठा दिया। उससे बोले कि वह घर का सामान लेकर खैर से आ रहे हैं। अर्जुन, मनोज, संजय से कहा था कि वह सामान लेकर आ रहे हैं तुम गैस प्लांट पर उतर जाना। वहां से गाड़ी चली गोण्डा की तरफ मोड़ दी। उसंने उनसे कहा भाई इधर कहां ले जा रहे हो। उन्होंने उसे काफी पीटा और पैरों के नीचे लिटा लिया। वह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया गाड़ी दबाई की फैक्टरी में थी जो बन्द थी। वहां उसे जंजीर से बांध दिया था। जिस दिन उसे होश आया उस दिन अर्जुन पहुँचा था। वहां पर गोपाल आता था, पप्पू उर्फ कालिया भी आता था, महराम वहां आता था सूरजभान आता था बन्टी आता था महेश भी आता था, उसके पापा के लिये उससे फोन कराया था कि बीस लाख रूपये फिरौती के दे दो, तभी छोडेंगे। फोन से मम्मी से बात करायी थी। बदमाशों ने पैसा लेने की जगह बतायी थी। वहां पर सभी बदमाश उसे लेकर पहुँचे थे। वहां पर और आदमी आ गये थे इसलिए उसे वहां से लेकर भाग गये थे। फिर उसे वहां से ले जाकर भूस के कोठे में बन्द कर दिया था। भुस के कोठे से साईकिल से निकाल कर ले गये थे, फिर मोटरसाईकिल से ले गये थे। थाना राया के गांव चिमला में ले जा रहे थे। उसे नौहझील की तरफ ला रहे थे। पुलिस ने घेर लिया और उसको छुड़ाया था। पुलिस ने बदमाशों में से रवि, राजेश, सुरेश, दिनेश को मौके पर पकड़ लिया था। इन्हीं के कब्जा से उसे बरामद किया था। वहां पुलिस ने लिखापढी की थी। लिखापढ़ी के बाद सूचना खैर पुलिस को दी थी। खैर पुलिस वहां पहुँची, और उसे लेकर आयी। उसका डाक्टरी मुआयना कराया, उसे उसके पिता की सुपुर्दगी में कर दिया था। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसका उल्लेख समग्र मूल्यांकन/निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

15. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 हेड कां० 803 अशोक कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 24.07.2007 को थाना खैर पर बतौर कां0 क्लर्क के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी जयपाल सिंह पुत्र सोनपाल सिंह की दाखिल तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं० 852/2007 थाना 364ए भा०द०स० दिनांक 24.07.2007 पंजीकृत किया था, जिसकी चिक स० 211/2007 उसके लेख व हस्ताक्षर में है जो अर्जुन सिंह आदि के नाम से पंजीकृत हुआ था। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 4अ चिक को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है तथा इसका खुलासा रपट नं0 24 समय 18.30 बजे दिनाक 24.07.2007 को किया जाना कहा है तथा अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है। आगे साक्षी ने बयान दिया है कि उक्त प्रकरण के विवेचक श्री राधेश्याम पाल उसके साथ थाने पर तैनात थे, उसने सरकारी कार्य के दौरान उन्हें लिखते व हस्ताक्षर करते देखा है। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद नक्शा नजरी दिनांक 24.07.2007 पर विवेचक एस०आई० राधेश्याम पाल के लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त

करते हुए **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है। विवेचना के बाद एस०आई० श्री राधेश्याम पाल द्वारा मुल्जिमानों के खिलाफ आरोप पत्र सं० 286/2007 दिनांक 10.09.2007 व 286ए/2007 दिनांक 15.11.2007 मुल्लिमान राजेश आदि एवं पप्पू कालियां आदि के खिलाफ अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रेषित किया था। दोनों आरोप पत्रों पर विवेचक के लेख व हस्ताक्षर की खिनाख्त करते हुए कमशः **प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है। उक्त प्रकरण की असल जी०डी० नियमानुसार समय अवधि बीत जाने के बाद नष्ट हो चुकी है। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसका उल्लेख समग्र मूल्यांकन/निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

16. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 डा० पी०के० शर्मा ने अपने बयान में कथन किया है कि उसने दिनांक 30.07.2007 को 10.10 पी०एम० पर श्री राजकुमार उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम करसुआ थाना लोधा जिला अलीगढ़ का चिकित्सीय परीक्षण किया था। जिसे होमगार्ड रज्जन लाल थाना खैर द्वारा लाया गया था तथा पहचान चिह्न अंकित किया गया था। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें आयी थी–

<u>चोट नं0 1.</u> सिर के बाई तरफ एक खुरचा हुआ नीलगू निशान जो कान से 8 सेमी० ऊपर था जिसका आकार 4 X 2.5 सेमी० तथा रंग लाल तथा खुरंट लग गया था।

<u>चोट नं0 2.</u> सीने के बांयी तरफ निपिल से 5 सेमी नीचे खरोंच का निशान जिसका आकार 4 X 1 सेमी0 था तथा खुरंट बन गया था।

<u>चोट नं० 3.</u> पीछे कमर की तरफ दांयी ओर जो गर्दन की जड़ से 14 सेमी० नीचे था, एक फटा हुआ जख्म जिसका आकार 2 X 1 सेमी० था।

<u>चोट नं० 4.</u> दाहिनी टांग के अन्दर की तरफ घुटने से 11 सेमी नीचे एक भरा हुआ जख्म था।

सभी चोटों की प्रकृति साधारण थी। चोट संख्या–1 व 2 रगड़ के आने से सम्भव थी। चोट सं० 3 व 4 कुन्दआला से आना सम्भावित थी। चोट 1 व 2 एक दिन पुरानी थी तथा चोट से 3 व 4 लगभग 7 दिन पुरानी थी। आगे साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद मजरूब राजकुमार की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसका उल्लेख समग्र मूल्यांकन/निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

17. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–5 सेवानिवृत उप निरीक्षक राधेश्याम पाल ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 30.07.2007 को वह थाना खैर में वरिष्ठ उप निरीक्षक तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा थानाध्यक्ष रिषी कुमार व अन्य हमराहीगणों के साथ मुकदमा अपराध संख्या–852/2007 धारा–364ए भा0द0वि0 के मुल्जिमान और अपहृत राज कुमार की सुरागरसी में मामूर था तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि टेंटीगॉव के जंगल में कुछ बदमाश अपहृत राजकुमार को छिपाये हुए हैं और फिरौती की मांग कर रहे हैं। सूचना पर एक पार्टी थानाध्यक्ष रिषी कुमार के साथ व दूसरी पुलिस पार्टी उसके साथ रवाना हुई और उसकी पार्टी को हिदायत दी गई कि बदमाशों को घेरने व पकड़ने का प्रयास करें। वह लोग मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे तो उन्हें जंगल में 8–10 बदमाश दिखायी पड़े। उन्होनें यह तय किया कि यह वही बदमाश हैं जिनके पास अपहृत राज कुमार है। जैसे ही उसकी टीम ने बदमाशों को ललकारा तो

एक बदमाश एक हाथ से राजकुमार को पकड़े हुए दूसरी तरफ भागा तथा एक खेत के पास जाकर तीन मोटर साइकिल निकाल कर अपहृत राजकुमार को लेकर भागने लगे। उसकी टीम बदमाशों के पीछे पड़ गयी और बदमाश टेंटी गॉव पर हृदय नगलिया के पुल के पास आये तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने जान की परवाह न करते हुए बदमाशों को ललकारा तो दूसरे बदमाश ने भी फायद कर दिया और बदमाश अपहृत राजकुमार को लेकर भागने का प्रयास करने लगे तो पुलिस पार्टी ने रनवीर सिंह के खेत के पास घेर कर पकड़ लिया। अपहृत राज कुमार ने पीछे से आवाज लगायी कि उसे बचा लो। उन्होंने राजकुमार को अपने पास खड़ा कर पकड़े गये बदमाशों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो एक ने अपना नाम राजेश पुत्र जगदीश प्रसाद बताया जिसकी जामा तलाशी में बैल्ट के पीछे की ओर उरसा हुआ एक कट्टा बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम दिनेश पुत्र सूरजभान बताया जिसके पास से एक तमंचा .315 बोर तथा जेब से जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए, तीसरे ने अपना नाम रवि पुत्र हर प्रसाद बताया जिसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम सूरजभान बताया जिसकी जामा तलाशी में पैन्ट में पीछे उदसा हुआ चाकू बरामद हुआ। अभियुक्तगण से बरामद चाकू, कारतूस व तमंचा आदि को कब्जे में लेकर सील मोहर कर फर्द बनायी तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति अभियुक्तगण को दी। गिरफतारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों को टेलीफोन व अन्य माध्यम से दी। गिरफतारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन कर फर्द मौके पर थानाध्यक्ष के बोलने पर उसके द्वारा लिखी गयी जो पत्रावली पर 5अ/1 ता–2 मौजूद है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।

दिनांक 16.07.2024 को दिये गये अपने बयान में साक्षी ने कथन किया है कि बरामद माल पुलिन्दा आज न्यायालय में उसके समक्ष मौजद है। पहले पुलिन्दे पर मुकदमा अपराध संख्या–858/2007 लिखा हुआ है जिसे खोलने पर एक तमंचा .315 बोर स्टील का खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस निकला। यह तमंचा अभियुक्त राजेश से मिला था। कपड़े पर **भौतिक प्रदर्श–1**, तमंचे पर **भौतिक प्रदर्श–2**, खोखा कारतस पर **भौतिक प्रदर्श–3**, जिन्दा कारतूस पर **भौतिक प्रदर्श–4** डाला गया। दूसरे पुलिन्दे पर मुकदमा अपराध संख्या–859/2007 अंकित है जिसके कपड़े पर **भौतिक प्रदर्श–5**, तमंचे पर **भौतिक प्रदर्श–6**, दो जिन्दा कारतूस पर भौतिक **प्रदर्श–7 व 8** डाला गया तथा खोखा कारतूस पर **भौतिक प्रदर्श–9** डाला गया। तीसरे पुलिन्दे पर मुकदमा अपराध संख्या–860/2007 अंकित है, जिसके कपड़े पर **भौतिक प्रदर्श–10**, छुरे पर **भौतिक प्रदर्श–11** डाला गया। चौथे पुलिन्दे पर मुकदमा अपराध संख्या–861/2007 अंकित है, जिसके कपड़े पर **भौतिक प्रदर्श–12** तथा बटनदार चाकू पर **भौतिक प्रदर्श–13** डाला गया। पुलिन्दा नं0 2, 3, 4 से निकले तमंचे व कारतूस क्रमशः अभियुक्त दिनेश, रवि और सूरज से बरामद किये गये थे। यह सभी माल न्यायालय के आदेश पर खोला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

अपने पुनः परीक्षा बयान दिनांक 17.02.2026 में साक्षी ने कथन किया है कि उसे इस केस की विवेचना 2007 में मिली थी उस समय वह थाना खैर में एस.एस.आई के पद पर तैनात था। उसने इस विवेचना में पहला पर्चा 24.07.2007 को काटा था जिसमे उसने नकल तहरीर,

नकल रपट, बयान लेखक, निरीक्षण घटना स्थल जो वादी कि निशानदेही पर बनाया था, पत्रावली उपरोक्त पर उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह शिनाक्त करता है जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–4 डाला गया था उसी दिन बयान वादी जयपाल सिंह अंकित किया गया। उसने दूसरा पर्चा लगायत पांचवा पर्चा काटा जिसमें नामित अभियुक्तगणों के घर पर दबिश दी गयी किन्तु दस्तयाब नही हुये। मुखबिर मामूर किये गये। छठा पर्चा 30.07.2007 में बयान अपहृत राजकुमार अंकित किया गया। राजकुमार ने क्या बताया उसे याद नही है। उसी दिन बयान अभियुक्त रवि, राजेश, दिनेश व सुरेश अंकित किया गया। उसी दिन बयान अभियुक्तगण मनोज, संजय, महराजसिंह व बंटी अंकित किये गये। दिनांक 01.08.2007 को बयान सूरजभान अंकित किया गया। दिनांक 05.08.2007 को नकल मेडिकल रिपोर्ट अपहृत राजकुमार की गयी। दिनांक 24.08.2007 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त दिनेश, सुरेश, सतीश व गोपाल का आपराधिक इतिहास अंकित है। दिनांक 30.08.2007 में आपराधिक इतिहास अंकित किया गया। दिनांक 07.09.2007 को अभियुक्त गोपाल का बयान अंकित किया गया। 10.09.2007 को बयान धर्मवीर व बंगाली के बयान अंकित किये गये। दिनांक 28.09.2007 को अभियुक्त पप्पू, संतोष, अर्जुन व महेश के धारा–82 द0 प्र0 सं0 का वारण्ट प्राप्त किया। दिनांक 01.10.2007 को गोपाल ने माल बरामद कराने के लिये कहा था जिस कारण उसकी कस्टडी के लिये न्यायालय से मांग की थी। दिनांक 06.10.2007 को अभियुक्त गोपाल को पी.सी.आर. पर लेने का आदेश लिया गया। दिनांक 07.10.2007 को अभियुक्त गोपाल को पी.सी.आर. पर लेकर मारुती वैन को तलाश कराने का प्रयास किया गया किन्तु बरामद नहीं हो सकी उसी दिन अभियुक्त महेश के बयान अंकित किया गया। दिनांक 09.10.2007 को रसीद नाम के व्यक्ति को तलाश करते हुये हाथरस व नौझील गया लेकिन वह नहीं मिला। दिनांक 17.10.2007 को अभियुक्त अर्जुन सिंह का बयान लिया गया। दिनांक 23.10.2007 को अभियुक्त पप्पू उर्फ कालिया का रोबकार हाजिरी न्यायालय से प्राप्त कर नकल की गई तथा 29.10.2007 को उसका बयान अंकित किया गया। दिनांक 15. 11.2007 को अभियुक्त पप्पू उर्फ कालिया, अर्जुन सिंह, गोपाल, महेश, संतोष के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–364ए भा.द.सं. न्यायालय में दाखिल किया गया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–6 डाला जा चुका हैं।

अपनी परीक्षा दिनांक 24.03.2026 में साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 10.09.2007 को पर्चा नं0 21ए किता किया था जिसमें बयान गवाह धर्मवीर व बंगाली अंकित किये थे जिसमें विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण राजेश, दिनेश, रवि, सुरेश, मनोज, महाराज सिंह, बंटी व सूरजभान के विरूद्ध आरोप पत्र धारा–364ए भा.द.सं. न्यायालय में प्रेषित किया गया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–5 डाला जा चुका है। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसका उल्लेख समग्र मूल्यांकन/निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

18. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–6 कांस्टेबिल क्लर्क अमर ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 29.07.2007 को वह थाना खैर में बतौर कांस्टेबिल क्लर्क तैनात था। उस दिन वह एस०एच०ओ० के हमराह होकर मु० अ०सं० 852/2007 धारा 364 भा.द.सं के अभियुक्त व अपहृत की पतारसी व तलाशी में मामूर थे। जरिये मुखबिर खारा सूचना मिली कि टेंटीगांव के जंगल में कुछ बदमाश छिपे है और फिरौती का इन्तजार कर रहे है। सूचना पर विश्वास कर वह

लोग दो पार्टियों में विभाजित होकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे, जंगल में करीब 8–10 बदमाश दिखाई पड़े। इस्मीनात व यकीन किया कि यह वही बदमाश हैं जो अपहृत को पकड़े हैं। बदमाशों को घेरने व ललकारने का प्रयास किया तो एक बदमाश एक हाथ से राजकुमार को पकडे व दूसरे हाथ में तमंचा लिये हुए पुलिस पार्टी की तरफ दौड़ते हुए आया। पुलिस पार्टी खेतों में चरी के पीछे छिपी थी। बदमाशों द्वारा अपहृत को उसी चरी में खेत के पास लाकर अन्दर तीन मोटरसाईकिल निकाल कर अपहृत को एक मोटरसाईकिल पर बिठाकर एक बदमाश उसके पीछे बैठ गया तथा दूसरी मोटरसाईकिल पर दो बदमाश तथा तीसरी पर दो बदमाश बैठकर मोटरसाईकिल स्टार्ट कर चलने को हुए, प्रभारी निरीक्षक वाली पार्टी ने एक जीप जो आगे खड़ी थी, में बैठ कर पुलिस पार्टी को बिठाकर बदमाशों का पीछे करने की वाली थी कि कुछ बदमाश पश्चिम उत्तर दिशा से भागते हुए दिखायी दिये। एस०एच०ओ० द्वारा मोबाइल पर दूसरी टीम को निर्देशित किया कि जो बदमाश पश्चिम उत्तरी दिशा में भाग रहे हैं उनका पीछा करो। पुलिस वाले मोटरसाईकिल वाले बदमाशों के पीछे पड़ गये। जैसे ही बदमाश टेंटीगांव से निकल कर रोड पर हृदय नगरिया के पुल के बीचोंबीच आये तो पुलिस वालों ने आवाज देकर अभियुक्तों को रुकने के लिये कहा, तो अपहृत के पीछे बैठे बदमाश ने अपने हाथ में पकडे तमंचा से जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस वालों ने जान की परवाह न करते हुए बदमाशों को ललकारा तो दूसरी मोटरसाईकिल पर बैठे बदमाशों ने एक फायर कर दिया। बचाव में पुलिस वालों ने पिस्टल से एक फायर कर दिया। बीच में देखा कि मोटरसाईकिल पर बैठे हुए चार बदमाश व एक अपहृत राज कुमार नगरिया वाले नहर पुल से उतर गये। दो बदमाश मोटरसाईकिल लेकर मौके से भाग गये। मोटरसाईकिल से उतर कर बदमाश खेतों की तरफ भागने लगे तो पुलिस पार्टी ने रनवीर के खेत के पास समय करीब 3.00 बजे मामूली मारपीट करते हुए पकड़ लिया। अपहृत राज कुमार को भी मौके से बरामद कर लिया। जिसने अपनी जान बचाने की गुहार पुलिस से लगाई। पकडे गये बदमाशों के नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली, उसी समय दूसरी टीम मौके पर आ गई। पकडे हुए एक बदमाश ने अपना नाम राजेश बताया। जामा तलाशी में पहनी पेन्ट की पीछे की ओर घुरसा हुआ एक अदद तमंचा हुलिया फर्द तथा नाल में फंसा हुआ एक कारतूस .315 बोर जिन्दा व पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम दिनेश बताया, जामा तलाशी में एक तमंचा .315 बोर हुलिया फर्द तथा नाल के अन्दर एक खोखा कारतूस तथा पहने पेन्ट की जेब से दो कारतूस जिन्दा .315 बोर बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम रवि बताया। जामा तलाशी में एक चाकू हुलिया फर्द बरामद हुआ। चौथे ने अपना सुरेश बताया। जामा तलाशी में पहनी पेन्ट में पीछे की तरफ गुसी छुरीनुमा चाकू हुलिया फर्द बरामद हुई। अभियुक्तगण से चाकू व तमंचे रखने का लाईसेंस दिखाने को कहा तो कासिर रहे। अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। बरामद माल को अलग–अलग कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया। मौके पर फर्द तैयार की गयी थी। फर्द तैयार कर सभी अभियुक्तगण व हमराहियों के हस्ताक्षर कराये। उपरोक्त फर्द बरामदगी कागज सं० 5अ/1 लगायत 5अ/2 पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–8 डाला जा चुका है। अभियुक्तगण व

बरामद माल को थाने लाया गया व अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

वह उपरोक्त मुकदमे के विवेचक मानसिंह माहौर से भली भांति परिचित है क्योंकि उसने उनके साथ थाने पर तैनात रहकर कार्य किया है। जिससे वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है तथा उनकी मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 6अ को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही नक्शा नजरी है जो विवेचक मानसिंह माहौर ने तैयार की है। वह उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 3अ/1 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है जो केस के विवेचक मान सिंह माहौर द्वारा तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया गया था। जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है। पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण सं० 138/2012 बनाम दिनेश धारा 25 आयुध अधिनियम थाना खैर पर उपलब्ध आरोप पत्र को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है जो मानसिंह माहौर द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया था। आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–307, 147, 148, 149 भा0द0सं0 पर **प्रदर्श क–10** तथा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। पत्रावली के साथ संलग्न सत्र परीक्षण संख्या–139/2012 बनाम रवि अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम के आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, जिसका उल्लेख समग्र मूल्यांकन/निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

19. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता दिनांक 20.03.2026 एवं अतिरिक्त परीक्षा अन्तर्गत धारा–313 द0 प्र0 सं0 दिनांक 03.04.2026 को अंकित की गई। जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को अस्वीकार करते हुये यह कथन किया गया है कि उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप झूंठा है। गलत विवेचना कर झूंठा आरोप पत्र दाखिल किया गया है, गवाहों द्वारा झूंठी गवाही दी गई है। वह निर्दोष हैं, पार्टीबंदी के कारण उन्हें झूंठा फंसाया गया है।

इसके अतिरिक्त महाराज सिंह ने कथन किया है कि सह अभियुक्त संजय उसका भांजा है, उसकी वादी से पार्टीबंदी की रंजिश चल रही है जिस कारण उसे व बंटी को खैर पुलिस मथुरा सिंघल डेयरी से पकड़ कर लायी और इस मुकदमे में झूंठा प्लांट कर दिया। बंटी उसका साला है।

अभियुक्त बंटी द्वारा भी संजय को महाराज सिंह का भांजा बताते हुए उपरोक्तानुसार कथन किया गया है।

अभियुक्त सूरजभान ने कथन किया है कि उसके पुत्र महेश की राया पुलिस ने पुलिस कस्टडी में पिटाई कर हत्या कर दी थी जिसकी उसने रिपोर्ट लिखायी उस मुकदमे से राया पुलिस को बचाने के लिये यह झूंठा मुकदमा उसके व उसके पुत्र के विरूद्ध किया गया है।

अभियुक्त पप्पू द्वारा कथन किया गया है कि वह तथा महाराज सिंह का भाई वादी मुकदमा के गॉव के पास ढाबा चलाते थे, मान सिंह का भांजा संजय इस मुकदमे में नामजद है इसी कारण उसे झूंठा फंसा दिया गया है।

अभियुक्त सुरेश ने भी अभियुक्त सूरजभान के कथनानुसार कथन किये हैं कि उसके भाई महेश की राया पुलिस ने पुलिस कस्टडी में पिटाई कर हत्या कर दी थी जिसकी उसके पिता

ने रिपोर्ट लिखायी उस मुकदमे से राया पुलिस को बचाने के लिये यह झूंठा मुकदमा उसके व उसके पिता के विरूद्ध किया गया है।

अभियुक्त महेश चंद शर्मा द्वारा कथन किया गया है कि वह गरीब व मजदूर व्यक्ति है, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर गलत तरीके से उसे झूंठा फंसाया गया है।

20. प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र दिनांकित 24.03.2025 के साथ अपहृत राजकुमार द्वारा सूरजभान के जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत शपथ पत्र की छाया प्रति, सूची सबूत दिनांक 26.03.2025 के साथ नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना राया जो अभियुक्त सूरजभान द्वारा राया पुलिस के विरूद्ध की गई तथा विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र सहित समाचार पत्र की फोटो प्रतियां, दांडिक वाद संख्या–31/2009 राज्य बनाम विजय बिहारी व अन्य में पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 12.04.2010 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल करते हुए डी0 डब्लू0–1 राज कुमार उर्फ रजुआ, डी0 डब्लू0–2 धर्मवीर सिंह, डी0 डब्लू0–3 सूरजभान को परीक्षित कराया गया है।

21. डी0 डब्लू0–1 राजकुमार उर्फ रजुआ ने अपने बयान में कथन किया है कि वह करसुआ प्लान्ट पर एस. टी. डी. चलाता था। दिनंक 21.07.2007 को वह अपनी एस टी डी पर मौजूद था। उस दिन उसके ही गॉव का राजकुमार पुत्र जयपाल सिंह न तो वहॉ आया था और न ही कोई सामान उसकी एस टी डी पर रखा था।

22. डी0 डब्लू0–2 धर्मवीर सिंह ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 21.07.2007 को वह अपने गॉव के बंगाली सिंह के साथ सामान लेने खैर गया था जब वह खैर से वापस लौट रहे थे तो उन्हें अर्जुन, संजय, संतोष आदि नहीं मिले थे और न उसने उनको देखा था। उसने कथित अपहृत राज कुमार को भी नहीं देखा था। संतोष, अर्जुन एवं कथित अपहृत की दीवार एक हैं और उनका दीवार को लेकर आपस में रंजिश चल रही थी जिस कारण उन्हें झूंठा फंसाया गया है।

23. डी0 डब्लू0–3 सूरजभान ने अपने बयान में कथन किया है कि वह गॉव चिमला थाना राया जिला मथुरा का रहने वाला है। उसकी उम्र 85 वर्ष है। उसके तीसरे बेटे का नाम महेश था। 4–5 अप्रैल 2000 की रात को बरह बजे उसके घर पर राया थाना प्रभारी महीपाल तोमर, उप निरीक्षक आर बी सिंह व 5–6 पुलिस कर्मी तथा उसके गॉव के उसकी खिलाफत के रमेश पुत्र बद्री, विजेन्द्र पुत्र रामबाबू, विजय बिहारी पुत्र चन्द्रभान, गुड्डू पुत्र रमेश, शिवली पुत्र भोपाल, पुलिस के साथ उसके घर पर आये थे और उसके बेटे महेश को पूछा। महेश, वह तथा उसका बेटा सुरेश घेर पर सो रहे थे। घेर पर आकर पुलिस एवं गॉव के व्यक्ति महेश को पकड़ कर ले गये जब वह और उसका बेटा सुरेश थाने गये तो राया थाना की पुलिस ने उसके बेटे महेश को हवालात में बंद कर दरोगा आर बी सिंह, एस ओर महीपाल सिंह तोमर व 5–6 अज्ञात सिपाही उसके बेटे को हवालात में पीट रहे थे। उसके बेटे की हवालात में पीट पीट कर पुलिस वालों ने हत्या कर दी थी और उसे व उसके बेटे सुरेश को थाने से गाली देकर भगा दिया था। सुबह थाने के सामने जनता ने जाम लगा दिया और अखबार में यह घटना प्रकाशित हो गयी जिसकी कांपी वह दाखिल कर रहा है। फिर उसने थाना राया में अधिकारीगण के आने के बाद अपराध संख्या–68/2000 धारा–147, 302 भा0द0सं0 दर्ज कराया जिसकी एफ आई आर की सत्य

प्रतिलिपि वह दाखिल कर रहा है। उपरोक्त वाद में विवेचक सी बी सी आई डी द्वारा न्यायालय मथुरा में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इलाका पुलिस द्वारा उस पर राजीनामा का दवाब डालने के लिये खैर थाना पुलिस से मिलकर करसुआ के जयपाल सिंह जो रमेश के रिश्तेदार हें, उनके विरूद्ध झूंठा मुकदमा लिखाया गया। उससे कोई भी बरामदगी नहीं हुई है और उनकी गिरफतारी घर से की गई है। वादी ने गॉव के विजय बिहारी, रमेश, विजेन्द्र, वृजेश द्वारा उसे धमकी देने पर उसने धारा–504, 506 भा0द0सं0 की एफ आई आर थाना राया में दर्ज करायी थी उसकी वाद संख्या–31/2009 है जिसमें न्यायालय यद्वारा सजा की गई है तथा परिवीक्षा पर छोड़ा गया है।

24. मेरे द्वारा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दांडिक एवं अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सविस्तार सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया।

25. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दांडिक का तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुकत संदेह से परे साबित किये गये हैं। अतः अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपों में दोषसिद्ध किया जाए।

26. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, ग्राम की रंजिश के कारण उन्हें झूंठा फसाया गया है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई विश्वसनीय एवं स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपों में दोषमुक्त किया जाए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियुक्त सूरजभान (मृतक दौरान विचारण) के पुत्र एवं अभियुक्त दिनेश के भाई की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गयी थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त सूरजभान ने थानाध्यक्ष थाना पुलिस राया जिला मथुरा एवं अन्य के विरूद्ध पंजीकृत करायी थी और इसी मुकदमे मं सुलह करने हेतु दवाब बनाने के लिये अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियुक्त सूरजभान, सुरेश व दिनेश निवासी ग्राम चिमला थाना राया जिला मथुरा की ग्राम करसुआ थाना लोधा जिला अलीगढ़ में निकटतम रिश्तेदारी थी जिनका पड़ोसी पी0 डब्लू0–1 जय पाल सिंह से भूमि से सम्बन्धित विवाद चल रहा था और पुलिस द्वारा षडयंत्र करके अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। कथित अपहृत की बरामदगी से एक सप्ताह पूर्व ही नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है और पुलिस द्वारा षडयंत्र करके अभियुक्तगण को झूंठा फांय गया है, ताकि अभियुक्तगण पुलिस के विरूद्ध पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत न करें। घटना के पूर्व जब ग्राम चिमला के व्यक्तियों जिनके प्रभाव में आ कर पुलिस ने अभियुक्त सूरजभान के पुत्र की पुलिस अभिरक्षा में हत्या की गई, से सुलह की धमकी दी गई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी, जिसमें अभियुक्त विजय बिहारी, रमेश, विजेन्द्र एवं ब्रजेश को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–3 मथुरा द्वारा दिनांक 12.04.2010 को दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि समस्त घटना पूर्णतः काल्पनिक, मनगढ़न्त एवं असत्य थी। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

27. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य एवं उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में धारा–354ख दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न है–

(i) क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.07.2007 को पी0 डब्लू0–2 राज कुमार का धन आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से अपहरण किया गया, जिसके सम्बन्ध में लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

(ii) क्या दिनांक 30.07.2007 को अभियुक्तगण दिनेश, सुरेश एवं रवि (मृतक दौरान विचारण) द्वारा पुलिस बल पर आग्नेयास्त्र से हमला कर हत्या का प्रयास किया गया तथा अभियुक्त दिनेश एवं रवि (मृतक) से अवैध आयुध बरामद किया गया, जिसके सम्बन्ध में लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

निष्कर्ष

28. अवधारणीय प्रश्न सं0–1 :

प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 पी0 डब्लू0–1 जयपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 24.07.2007 को अभियुक्तगण अर्जुन सिंह सहित 05 नामजद व्यक्तियों एवं 02 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। पी0 डबलू0–1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.07.2007 को वह अपने पुत्र पी0 डब्लू0–2 राज कुमार के साथ कुछ आवश्यक सामान लेने अलीगढ़ आया था। उसी समय गॉव के अर्जुन सिंह द्वारा उसके पुत्र के मोबाइल पर फोन करके कहा गया कि तुमने जमीन खदीरी है, पार्टी दे दो और उसके साथ मनोज कुमार सिंह साथ में था। जब उसके पुत्र ने पहुॅचने का स्थान पूछा तो अर्जुन सिंह ने कहा कि वह खैर में पेट्रोल टंकी के सामने सर्वेश के होटल पर बैठा है। उसका लड़का राज कुमार अलीगढ़ से प्लांट पर उतरा जहॉ पर संतोष पुत्र नेमसिंह मौजूद था। वह सामान रजुआ की एस.टी.डी. पर रखकर राजकुमार को खैर लेकर आया। खैर में सर्वेश के होटल पर अर्जुन व मनोज बैठे थे। वहॉ पर शराब पी गयी और खाना खाया गया और खाने के बाद स्लेटी कलर की वैन जिसमें पप्पू और संजय थे, में उसके लड़के को बैठाकर ले गये जिसे उसके गॉव के धर्मवीर एवं बंगाली सिंह ने देखा था और मनोज कुमार सिंह ने कहा था कि तुम्हारी सम्पत्ति लुट गयी। जब उसका पुत्र वापस नहीं आया तो उसने उसे फोन मिलाया तो किसी अज्ञात व्यक्ति से वाता हुई उसके बाद उसकी पत्नी से किसी अज्ञात ने बात की और बीस लाख रूपये की मांग की। जब उसका पुत्र नहीं मिला तो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी।

पी0 डब्लू0–1 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया गया है कि वह अलीगढ़ से सामान लेकर राज कुमार से पहले अपने गॉव आ गया था और वह राजकुमार को छोड़ आया था। वह अपने गॉव 12.00 बजे केकरीब आ गया था। वह नहीं बता सकता कि राजकुमार अलीगढ़ से कितने समय आया। उसे एस टी डी वाले ने राजकुमार के उतरने वाली बात बतायी थी। प्रति परीक्षा के क्रम में यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने यह बात सुनी है कि खैर में सर्वेश का होटल है परन्तु देखा नहीं है। उसे नहीं मालूम कि होटल पर शराब पी गयी थी या खाना खाया था, न उसने यह बात दरोगा जी को बतायी थी। प्रति परीक्षा के क्रम में यह भी साक्ष्य दिया है कि राजकुमार के अलीगढ़ से आकर प्लान्ट पर उतरने वाली बात के आगे की कहानी राजकुमार का

अपहरण होने तक की उसे नहीं मालूम और प्रति परीक्षा के क्रम में यह भी साक्ष्य दिया है कि उसे नहीं मालूम कि उसके पुत्र राजकुमार ने स्वयं अपने अपहरण का नाटक किया हो फिर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता एवं अभियुक्तगण के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि गॉव की पार्टीबंदी के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी हो, परन्तु यह स्वीकार किया कि पुलिस उसे कभी भी कहीं लेकर नहीं गयी और घर पर आकर मिलकर चली जाती थी।

जबकि पी0 डब्लू0–2 राज कुमार (कथित अपहृत) द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया गया है कि जब वह अलीगढ़ से वापस सर्वेश के होटल पर पहुॅचा तो इस बीच उसकी पिता से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और गॉव के किसी व्यक्ति से भी मुलाकात नहीं हुई थी। वह मोटर साइकिल से बांस खरीदने के लिये आया था और उसका मकान मनोज के मकान के बराबर में है। जब उसने पुलिस को बयान दिया था उससे पूर्व उसकी अपने पिता से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के एक सप्ताह पूर्व नामजद अभियुक्तगण जो कथित अपहृत एवं उसके पिता वादी मुकदमा के पड़ोसी एवं रिश्तेदार हैं, के विरूद्ध नामजद पंजीकृत करायी गई है।

29. प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार अपहृत पी0 डब्लू0–2 राजकुमार पुलिस द्वारा दिनांक 30.07.2007 को पुलिस मुठभेड़ में बरामद किया जाना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.07.2007 को नामजद अभियुक्तगण जो वादी के पड़ोसी एवं उसके रिश्तेदार हें, के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है, जबकि प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार घटना के बाद और बरामदगी के पूर्व अपहृत की अपने पिता से कोई बात नहीं हुई है और वादी द्वारा अभियुक्तगण के इस सुझाव को भी पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया गया है कि कथित अपहृत ने स्वयं अपहरण का नाटक किया हो। पी0 डब्लू0–7 कांस्टेबिल अमर के अनुसर कथित अपहृत को कोई भी चोट बरामदगी के समय नहीं थी जबकि अपहृत द्वारा दिन प्रातिदिन मारपीट कर चोटें पहुॅचाये जने का साक्ष्य दिया गया है। अतः पी0 डब्लू0–1 एवं पी0 डब्ल0–2 पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं तथा पी0 डब्ल0–4 डा0 पी. के. शर्मा का साक्ष्य तथा प्रदर्श क–7 भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रहा है।

30. डी0 डब्लू0–1 राजकुमार उर्फ रजुआ एवं डी0 डब्लू0–2 धर्मवीर सिंह के साक्ष्य के अनुसार दिनांक 21.07.20067 को कथित अपहृत क्रमशः उसकी एस टी डी पर नहीं आय और न ही उसे अर्जुन सिंह आदि के साथ देखा गया, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित अपहृत द्वारा अपना सामान डी0 डब्लू0–1 की एस टी डी पर रखा गया और डी0 डबलू0–2 द्वारा उसे अभियुक्तगण अर्जुन सिंह आदि के साथ देखा गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के शेष साक्षीगण धर्मवीर सिंह एवं बंगाली सिंह जो वादी के ग्राम के ही है, को परीक्षित नहीं कराया गया है, यहॉ तक कि वादी ने अपनी पत्नी एवं अपहृत की मां जिसके फोन पर फिरौती की मांग किया जाना बताया गय है, को भी परीक्षित नहीं कराया गया और न ही ऐसे सिकी फोन क आने का कोई भी अभिलेखीय/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

31. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–114 (छ) के अनुसार यदि साक्षी जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, यदि पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के प्रतिकूल होता जो उसका विधारण किये हुए है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुख्य साक्षी धर्मवीर सिंह एवं

बंगाली सिंह, मनोज कुमार सिंह, अपहृत की मां को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः यह अनुमान निकाला जाएगा कि यदि ऐसे साक्षी परीक्षित कराये जाते तो वह वादी के अनुकूल नहीं होते।

32. अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रति रक्षा में डी0 डब्लू0–1 व 2 के अतिरिक्त डी0 डब्लू0–3 अभियुक्त सूरजभान (मृतक दौरान विचारण) को परीक्षित कराया गया है तथा अपने मौखिक सक्ष्य के समर्थन में मुकदमा अपराध संख्या–68/2000 अन्तर्गत धारा–147, 302 भा0द0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं मुकदमा अपराध संख्या–215/2000 अन्तर्गत धारा–504, 506 भा0द0सं0 थाना राया जिला मथुरा में पारित निर्णय को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 4/5.04.2000 को पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त सूरजभान के पुत्र की हत्या होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट ग्राम राया निवासी रमेश चन्द्र शर्मा सहित थाना राया पुलिस के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। प्रतुत साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण अर्जुन सिंह आदि अभियुक्त सूरजभान के रिश्तेदार हैं और ग्राम चिमला थाना राया जिला मथुरा में निवास करते हैं। मृतक डी0 डब्लू0–2 सूरजभान द्वारा मृत्यु से पूर्व साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 4/5.04.2000 की रात्रि में उसके घर राया थाना प्रभारी महीपाल तोमर, उप निरीक्षक आर बी सिंह व 5–6 पुलिस कर्मी तथा उसके गॉव के उसकी खिलाफत के रमेश, विजेन्द्र, विजय बिहारी, गुड्डू, शिवली, पुलिस के साथ उसके घर पर आये थे और उसके बेटे महेश को पूछा था। महेश, वह तथा उसका बेटा सुरेश घेर पर सो रहे थे। घेर पर आकर पुलिस एवं गॉव के व्यक्ति महेश को पकड़ कर ले गये जब वह और उसका बेटा सुरेश थाने गये तो राया थाना की पुलिस ने उसके बेटे महेश को हवालात में बंद कर दरोगा आर बी सिंह, एस ओ महीपाल सिंह तोमर व 5–6 अज्ञात सिपाही उसके बेटे को हवालात में पीट रहे थे। उसके बेटे की हवालात में पीट पीट कर पुलिस वालों ने हत्या कर दी थी, जिसकी उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–68/2000 पंजीकृत करायी थी, विवेचना में आरोप सही साबित होने पर पुलिस कर्मचारीगण सहित ग्राम वासीगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पी0 डब्लू0–1 जयपाल सिंह द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि वह अपने पुत्र के साथ दिनांक 21.07.2007 को सामान लेने बस से गया था जबकि पी0 डबलू0–2 राजकुमार द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि वह मोटर साइकिल से गया था। पी0 डब्लू0–2 द्वारा स्वयं के अपहरण के पश्चात सिकन्द्राराउ स्थित फैक्ट्री में रखने का कथन किया गया है और यह भी कथन किया गया है कि फैक्ट्री में चौकीदार एवं चपरासी रहते थे और चौकीदार ही उसे खाना खिलाता था और शौच के लिये वह बाहर जाता था, परन्तु ऐसी किसी फैक्ट्री के चौकीदार/चपरासी को पुलिस द्वारा साक्षी नहीं बनाया गया है। पी0 डब्लू0–2 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने अपहरण के बाद फैक्ट्री में बंद रहने पर कोई शोर नहीं मचाया था और न ही पुलिस को वह स्थान दिखाया था, जबकि यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त अर्जुन का मकान एवं खेत की दीवार उससे लगी हुई है और वह निकटतम पड़ोसी हैं। अतः पी0 डब्लू0–1 एवं 2 का साक्ष्य गंभीर विरोधाभास से युक्त है। किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। विवेचक पी0 डब्लू0–5 उप निरीक्षक राधेश्याम पाल द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि कथित बरामदगी का कोई जन साक्षी नहीं बनाया गया था और विवेचक द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने सर्वेश होटल के मालिक या

कर्मचारीगण के कथन अंकित नहीं किये थे और सम्पूर्ण विवेचना में कथित वाहन नहीं मिला था और न ही उसने कथित मोबाइल नम्बर को कब्जे में लेकर उसकी सी डी आर निकलवायी थी। इस प्रकार विवेचक द्वारा भी लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में कोई तथ्यात्मक विवेचना न करके यांत्रिक रूप से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

33. विधि व्यवस्था **मुन्नालाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 लाइव लॉ (एस.सी.)–60** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि यदि साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है तो उसकी साक्ष्य का समर्थन अन्य साक्ष्य से होना आवश्क है। अभियुक्त सूरजभान द्वारा पुलिस अधीकारीगण एवं कर्मचारीगण के विरूद्ध लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियुक्त सूरजभान की अभियुक्त अर्जुन सिंह से निकटतम रिश्तेदारी सहित अन्य तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए पी0 डब्लू0–1 व 2 के साक्ष्य का समर्थन अन्य साक्ष्य से कराया जाना अवश्यक था, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को पी0 डब्लू0–1 व 2 के साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि पी0 डब्लू0–1 एवं 2 का सम्पूर्ण साक्ष्य पूर्णतः विरोधाभासी हैं। अतः मैं इस निष्कष्र पर पहुॅचता हॅू कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–364ए भा0द0सं0 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

34. <u>अवधारणीय प्रश्न सं0–2</u>

अभियुक्त दिनेश, सुरेश, रवि (मृतक) एवं राजेश (विधि विवादित किशोर) के विरूद्ध धारा–307 भा0द0सं0 एवं अभियुक्त दिनेश एवं रवि (मृतक) के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम का भी आरोप लगाया गया है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या–क्रमशः 857/2007, 859/2007 एवं 860/2007 पंजीकृत किये गये हैं। मुकदमा अपराध संख्या–857/2007 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–2) के अनुसार दिनांक 29.07.2007 को प्रभारी निरीक्षक रिषी कुमार पुलिस बल के साथ धारा–364ए भा0द0सं0 से सम्बन्धित अपराध के अपहृत की बरामदगी हेतु रवाना हुए और उनके साथ दूसरी पुलिस पार्टी में पी0 डब्लू0–5 वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम पाल एवं अन्य पुलिस बल थाना खैर रवाना हुए और उनके द्वारा दिनांक 30.07.2007 को अपहृत राजकुमार को अभियुक्त दिनेश, रवि, सूरजभान एवं राजेश के साथ बरामद किया गया। पी0 डब्लू0–5 वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम पाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुख्य परीक्षा में समर्थन किया गया हैं प्रति परीक्षा में इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह पुलिस पार्टी का सदस्य था परन्तु मामले की विवेचना भी उसी के द्वारा की गई थी। पी0 डब्लू0–7 कां0 अमर पुलिस पार्टी का सदस्य था जिसने स्वीकार किया है कि पुलिस पार्टी को कोई भी चोट नहीं आयी थी ओर सम्पूर्ण कार्यवाही में एक से डेढ़ घंटा लगा था। पी0 डब्लू0–5 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया गया है कि कथित मारूति वैन को बरामद नहीं किय जा सका था, जबकि अभियुक्त गोपाल का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड लिया गया था। पी0 डब्लू0–1 वादी जयपाल सिंह के सक्ष्य के अनुसार अपहृत को थाना नौहझील, मथुरा पुलिस द्वारा बरामद किया गया था जबकि पी0 डबलू0–2 के साक्ष्य के अनुसार थाना खैर, अलीगढ़ पुलिस द्वारा उसके पिता को घर से बुलवाया गया था और उसके सामने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। पी0 डबलू0–1 द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि थाना नौहझील पुलिस ने उसके पुत्र को सुपुर्दगी में दिया था और घटना की तहरीर उसने थाना खैर पर लिखायी थी। बरामदगी के एक सप्ताह पूर्व ही नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करया जाना, तत्पश्चात

नौहझील थाना पुलिस द्वारा अपहृत की बरामदगी एवं थाना खैर पुलिस द्वारा अपहृत को सुपुर्दगी में दिया जाना घटना के सम्बन्ध में गंभीर संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। थाना नौहझील, मथुरा पुलिस का कोई मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हे जबकि अभियुक्त सूरजभान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार घटना के पूर्व उसके पुत्र की पुलिस अभिरक्षा में हत्या की गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त सूरजभान द्वारा अपने गॉव के निवासीगण सहित पुलिस के विरूद्ध पंजीकृत करायी थी और तत्पश्चात उसे सुलह की धमकी दी गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.05.2000 को धारा–504, 506 भा0द0सं0 थाना राया जिला मथुरा में पंजीकृत करायी गयी, जिसमें अभियुक्तगण विजय बिहारी, रमेश, बिजेन्द्र एव ब्रजेश निवासी चिमला थान राया जिला मथुरा को धारा–504, 506 भा0द0सं0 के अपराध के लिये दिनांक 12.04.2010 को दोषसिद्ध किया गया। घटना में पुलिस पार्टी के किसी सदस्य के किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आयी है, जबकि आग्नेयास्त्र से फायर करना बताया गया है। अतः हत्या के प्रास का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता है। मुकदमा अपराध संख्या–857/2007 से सम्बन्धित अभियुक्तगण में से अभियुक्तगण दिनेश, रवि एवं सूरजभान के अतिरिक्त किसी अभियुक्त को बरामदगी के समय गिरफतार नहीं किया गया है, जबकि कथित अपहृत पी0 डब्लू0–2 राजकुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य दिया गया है परन्तु यह तथ्य भी ध्यान में रखे जाने योग्य है कि अभियुक्त अर्जुन कथित अपहृत एवं वादी का पड़ोसी है और उनके मध्य पूर्व से ही विवाद विद्यमान था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त अर्जुन आदि अभियुक्त सूरजभान निवासी चिमला के रिश्तेदार थे जिसके द्वारा पुलिस के विरूद्ध हत्या के अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजकृत करायी गयी थी। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क बलपूर्ण प्रीत होता है कि पुलिस द्वारा थाना नौहझील जिला मथुरा एवं थान खैर जिला अलीगढ़ की पुलिस द्वारा अपने सहकर्मियों को बचाने के उद्‌देश्य से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी जिसमें किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

35. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दांडिक का तर्क है कि पुलिस साक्षीगण के साक्ष्य पर अनावश्यक अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य पूर्णतः काल्पनिक, मनगढ़न्त एवं असत्य है। यह सुस्थापित विधि है कि पुलिस साक्षीगण के साक्ष्य की समीक्षा सावधानीपूर्वक किये जाने की आवश्यकता रहती है। पी0 डब्लू0–5 वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम पाल द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वह मुकदमा अपराध संख्या–857/2007 में पुलिस पार्टी के सदस्य थे, अतः उनके द्वारा की गई विवेचना को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। कथित बरामद आयुध की अभियोजन स्वीकृति को साबित नहीं कराया गया है जबकि 15 वर्ष से अधिक का समय अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया गया है और इस मध्य दो अभियुक्तगण की मृत्यु भी हो गयी है जिनमें अभियुक्त सूरजभान द्वारा मृत्यु से पूर्व स्वंय को डी0 डबलू0–3 के रूप में परीक्षित कराया गया है और सम्पूर्ण घटनाक्रम का साक्ष्य दिया गया है तथा यह भी साक्ष्य दिया है कि अलीगढ़ पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध इसलिये मुकदमा पंजीकृत किया गया था क्योंकि उसने थाना राया

जिला मथुरा पुलिस के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जो प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है।

36. जहॉ तक अभियुक्त सूरजभान, रवि एवं राजेश का प्रश्न है, अभियुक्त राजेश को विधि विवादित किशोर होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायबोर्ड संदर्भित किया जा चुका है तथा अभियुक्त सूरजभान, गोपाल एवं रवि की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त सूरजभान, गोपाल एवं रवि के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–852/2007 अन्तर्गत धारा–364ए भा0द0सं0 एवं अभियुक्त रवि के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–857/2007 अन्तर्गत धारा–307 भा0द0सं0 तथा मुकदमा अपराध संख्या–860/2007 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम (सत्र परीक्षण संख्या–139/2012) की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

37. जहॉ तक अभियुक्त मनोज का प्रश्न है, वह दौरान विचारण अनुपस्थित हो गया, जिसके सम्बन्ध में सी0 डब्लू0–1 द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि वह वर्ष 2012 से लापता है जिसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हो सकी है। सी0 डब्लू0–1 कांस्टेबिल निर्मल सिंह द्वारा अनुपस्थित अभियुक्त मनोज कुमार सिंह की गुमशुदगी की जी0 डी0 संख्या–29 दिनांक 29.11.2012 थाना लोधा, अलीगढ़ को प्रदर्श ख–1 के रूप में साबित किया गया है। अतः अभियुक्त मनोज कुमार सिंह की पत्रावली धारा–299 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत उसकी मृत्यु की पुष्टि न होने के कारण अभिलेखागार में सम्बन्धित सत्र परीक्षण के साथ इस आदेश के साथ संलग्न की जाती है कि अभियुक्त की पत्रावली को अभिलेखागार द्वारा विनष्ट नहीं किया जाएगा।

अतः प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकाश में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण **दिनेश, महेश, अर्जुन, संजय, संतोष, महाराज सिंह, बंटी, पप्पू एवं सुरेश** के विरूद्ध धारा–364ए, भा0द0सं0, अभियुक्तगण **दिनेश एवं सुरेश** के विरूद्ध धारा–307/34 भा0द0सं0 एवं अभियुक्त **दिनेश** के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है तथा अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्तगण **दिनेश, महेश, अर्जुन, संजय, संतोष, महाराज सिंह, बंटी, पप्पू एवं सुरेश** को सत्र परीक्षण संख्या–852/2009 (मुकदमा अपराध संख्या–852/2007) राज्य बनाम दिनेश व अन्य थाना खैर, जिला अलीगढ़ में धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषमुक्त** किया जाता है।

2. अभियुक्तगण **दिनेश एवं सुरेश** को सत्र परीक्षण संख्या–140/2012 (मुकदमा अपराध संख्या–857/2007) राज्य बनाम दिनेश व अन्य थाना खैर, जिला अलीगढ़ में धारा–307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषमुक्त** किया जाता है।

3. अभियुक्तगण **दिनेश** को सत्र परीक्षण संख्या–138/2012 (मुकदमा अपराध संख्या –859/2007) राज्य बनाम दिनेश थाना खैर, जिला अलीगढ़ में धारा–25 आयुध अधिनियम के आरोप में **दोषमुक्त** किया जाता है।

4. अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके द्वारा धारा–437क दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया जा चुका है, अतः अभियुक्तगण द्वारा दौरान विचारण प्रस्तुत बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है।

5. अभियुक्तगण द्वारा धारा–437क दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र अग्रिम छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

6. सत्र परीक्षण संख्या–02/2026 (मुकदमा अपराध संख्या–852/2007) राज्य बनाम मनोज अन्तर्गत धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता थाना खैर, जिला अलीगढ़ की पत्रावली धारा–299 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज की मृत्यु की पुष्टि न होने तक सम्बन्धित सत्र परीक्षण के साथ इस आदेश के साथ अभिलेखागार में संचित की जाए कि उक्त पत्रावली को अभिलेखागार द्वारा विनष्ट नहीं किया जाएगा।

7. निर्णय की एक–एक प्रति सभी सम्बन्धित सत्र परीक्षणों पर रखी जाकर अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार प्रति प्रेषित किये जाएं।

दिनांकः 20–07–2026

(पी0 के0 जयन्त)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–14, अलीगढ़

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 20–07–2026

(पी0 के0 जयन्त)
संजय (आ.लि.)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–14, अलीगढ़

Digitally signed by PRADEEP KUMAR JAYANT
Date: 2026.07.20 17:22:44 AKDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court